भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3543
17 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

अन्तर्देशीय मछुआरों के समक्ष चुनौतियां

3543. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अन्तर्देशीय मछुआरों, विशेषकर केरल में, जहां नदी आधारित और अंतर्देशीय मछली पकड़ने की गतिविधियां स्थानीय आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं, को पेश आ रही चुनौतियों की जानकारी है;
(ख) क्या सरकार द्वारा विशेषकर वित्तीय सहायता, कौशल विकास और मत्स्यपालन की आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच के संदर्भ में अन्तर्देशीय मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या सरकार के पास अन्तर्देशीय मात्स्यिकी की सततता को सुनिश्चित करने और उन पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए कोई विशिष्ट योजनाएं अथवा पहल हैं जिन पर ये समुदाय निर्भर करते है;
(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान अन्तर्देशीय मछुआरों को प्रदान की गई किन्हीं वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और इससे उनकी आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ा है;
(ङ) क्या सरकार के पास अन्तर्देशीय जल निकायों में मछलियों के घटते भंडार, प्रदूषण और अवैध रूप से मछलियां पकड़ने के मुद्दे, जो अन्तर्देशीय मछुआरों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, का समाधान करने की कोई योजना है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): केरल सरकार ने सूचित किया है कि प्राकृतिक आपदाएं, अचानक जलवायु परिवर्तन, आवास विनाश और मानवजनित कारकों जैसे प्रदूषण, अत्यधिक मत्स्यन, अवैध मत्स्यन प्रथाएं आदि के कारण केरल के अंतर्देशीय मछुआरों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनका समाधान केरल अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि अधिनियम के कार्यान्वयन, स्टॉक वृद्धि कार्यक्रमों और मत्स्य संसाधनों की स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण और प्रबंधन उपायों के माध्यम से किया गया है। यह भी बताया गया है कि विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप, केरल में अंतर्देशीय मात्स्यिकी से मत्स्य उत्पादन 2017-18 में 1.89 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 2.51 लाख मीट्रिक टन हो गया है।

(ख) से (घ): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार, अपनी योजनाओं के माध्यम से समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास और मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में कई पहल कर रहा है ।

मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना, वैल्यू चैन को मजबूत करना, रोजगार सृजन, मछुआरों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना और संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करना इन पहलों का मूल रहा है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए केरल सहित भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रमुख योजना 'प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना' (पीएमएमएसवाई) कार्यान्वित कर रहा है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत विगत चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने केरल सरकार के 1181.10 करोड़ रुपए के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

स्वीकृत गतिविधियों में अंतर्देशीय मात्स्यिकी विकास गतिविधियाँ शामिल हैं, जैसे मीठे पानी की फिनफिश हैचरी के निर्माण के लिए सहायता, फिश कल्चर के लिए नए रियरिंग और ग्रो-आउट पॉण्ड, ओर्नामेंटल फिश रियरिंग और ब्रीडिंग इकाइयाँ, जलाशयों में केज कल्चर, हाइ-टेक कल्चर सिस्टम जैसे कि री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लोक कल्चर इकाइयाँ, पेन कल्चर इकाइयाँ, पारंपरिक मछुआरों के लिए जलाशयों, नावों और जालों का एकीकृत विकास, 'मत्स्य सेवा केंद्रों' के अंतर्गत विस्तार और सहायता सेवाएँ। इसके अलावा फिश स्टॉक पुनःबहाली के लिए रेंचिंग जैसी संरक्षण गतिविधियाँ, मत्स्य प्रतिबंध अवधि के दौरान मछुआरों को आजीविका सहायता जैसी कल्याणकारी गतिविधियाँ, मछुआरों को बीमा कवरेज, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की दिशा में कार्यक्रम भी प्रदान किए जाते हैं।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित पीएमएमएसवाई का उद्देश्य मात्स्यिकी पोटेन्शियल का उपयोग सहित सतत तरीके से अंतर्देशीय मात्स्यिकी, भूमि और जल के विस्तार, गहनता (इंटेन्सिफिकेशन), विविधीकरण (डाईवरसिफीकेशन) और उत्पादक उपयोग के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, वैल्यू चैन को मजबूत करना, मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दोगुना करना और रोजगार सृजन करना तथा मछुआरों और मत्स्य किसानों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है । विगत चार वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर्देशीय मात्स्यिकी के लिए पीएमएमएसवाई के तहत 4582.28 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, मात्स्यिकी में संस्थागत ऋण को मजबूत करने के लिए, अंतर्देशीय क्षेत्र के मत्स्यपालकों सहित मछुआरों और मत्स्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार किया गया है। मात्स्यिकी एवं जलकृषि अवसंरचना विकास निधि / फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड मात्स्यिकी में रियायती वित्तपोषण देने के लिए बनाई गई है। केंद्र और राज्य सरकारों की रणनीतिक पहलों के कारण, विगत दशक में, अंतर्देशीय जलीय कृषि से देश का कुल मत्स्य उत्पादन 2013-14 के अंत में 61.36 लाख टन से दोगुना होकर 131.13 लाख टन (2022-23 में) हो गया है। इन पहलों ने राज्य में मछुआरों की स्थिर आय वृद्धि और क्षेत्र के समग्र विकास को भी सुनिश्चित किया है।

(ङ) और (च) फिश स्टॉक की स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) सुनिश्चित करने और जलाशयों में प्रदूषण को कम करने के लिए, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मत्स्य स्टॉक की सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध अवधि के दौरान मत्स्य संरक्षण और सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा, अवैध मत्स्यन गतिविधियों की निगरानी, मत्स्य संरक्षित क्षेत्र की स्थापना, क्षतिग्रस्त जलीय पारिस्थितिकी तंत्र (एक्वाटिक ईकोसिस्टेम्स) की बहाली भी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके संबंधित अंतर्देशीय मात्स्यिकी अधिनियमों के अंतर्गत की जाती है। इसके अलावा, भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन प्रदूषण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए समुद्री और अंतर्देशीय जल दोनों में विभिन्न प्रमुख सफाई कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं।

*****